

अनु०-10: नागरिकता को संरक्षण

संरक्षण

यदि नागरिकता पर वर्तमान में कोई विधि बनायी जाय तो पूर्व में कनी विधि से प्राप्त नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उदा०: 26 जन. 1950 के बाद जा-भा व्यक्त - भारत के

↑ भारत का नागरिक

1 जुलाई 1987 ⇒ माता/पिता में से कोई एक भारत का

अनु०-11 :- नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है।

नागरिकता का संरक्षण :- अनु० 10

- ↳ न्यायपालिका / SC
- ⇒ भारत में ब्रिटेन के आधार पर एकदली नागरिकता का प्रावधान है।
- ⇒ अमेरिका में दोदली नागरिकता का प्रावधान है।
या पहले राज्य का फिर देश का नागरिक है।

नागरिकता अधि०-1955

अब तक - कुल - 8 बार संशोधन

→ मात्र - 5 बार संशोधन मात्र.

नागरिकता प्राप्त करना

5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।

① - जन्म के आधार पर → भारत में जन्मा

② - वंश के आधार पर → भारत से बाहर जन्मा

③ - पंजीकरण के आधार पर → भारत वंशी

④ - देशीयकरण / राष्ट्रीयकरण → विदेशी

⑤ - अभिज्ञान के आधार पर → अभिज्ञान भूमि

नागरिकता समाप्त करना

⇒ 3 प्रकार से

⇒ उल्लेख - अठ-9.

विदेशी

- दलालाभा,
- सोनिया गांधी
- इटली
- अक्षय कुमार
↳ भारत वंशी
- अलिया भट्ट
- सु-दर् पिचार्ड
- डोनाल्ड डम्प

जन्म के आधार पर नागरिकता :-

① - 26 अगस्त 1950 के बाद तथा 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, चाहे माता-पिता की नागरिकता कुछ भी हो।

② 1 जुलाई 1987 के बाद तथा 3 Dec 2004 से पहले भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का हो।

③ 3 Dec 2004 के बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन माता/पिता में से कोई एक अप्रवासी भारतीय नहीं हो।

देश के आधार पर नागरिकता :-

- ① 26 अक्टू 1950 के बाद तथा 10 Dec 1992 से पहले भारत क्षेत्र से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- ② 10 Dec 1992 के बाद तथा 3 Dec 2004 से पहले भारत क्षेत्र से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता/पिता में कोई भारत का हो, भ्रष्टवासी भारतीय नहीं है।

- ③ - 3 Dec 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता/पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो।
- तथा बच्चे के जन्म का पंजीकरण उस देश स्थित भारतीय दूतावास में करवाया गया हो।
- माता/पिता में से किसी एक के पास भारत का Passport हो।

पंजीकरण के आधार पर नागरिकता :-

- ① ऐसा भारतवंशी व्यक्ति 7 वर्ष तक सामान्यतौर पर भारत में निवास करे, तो वह भारत का नागरिक होगा।
- ② भारतवंशी व्यक्ति भारतीय से सम्बंध बना कर 7 वर्ष तक सामान्य तौर पर निवास करे।
- ③ यदि भारतवंशी की स-तान 1 वर्ष तक भारत में रहे तो वह भारत का नागरिक होगा।

देशियकरण के आधार पर:-

12 वर्ष
2006

200-3
↳ जाम राइट
⇓
कोच-5 साल
⇓
व्युजीलैण्ड
↳ लेपर
⇓
वेलफे

⇒ विदेशी व्याक्ति सामान्य तौर पर भारत में 10 वर्ष तक भारत में निवास करे।

⇒ विदेशी व्याक्ति 7 वर्ष के भीतर - 5 वर्ष तक भारत में निवास करे।

⇒ भारत सरकार किसी भी प्रातिष्ठित विदेशी व्याक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है।

